



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 401 राँची, शुक्रवार, 23 आषाढ़, 1945 (श०)
14 जुलाई, 2023 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना
12 जुलाई, 2023

संख्या-02/कृ०गो०रा०-32/2021-1747 कृ०---श्री जय प्रकाश तिवारी, तत्कालीन CEO, OFAJ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय पत्रांक-479 दिनांक-10.03.2021 द्वारा दिये गये निदेश यथा "1. राज्यादेश संख्या-106 दिनांक-23.09.2019 द्वारा आमंत्रित इच्छा की अभिव्यक्ति को विभागीय राज्यादेश में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण रद्द करने 2. पुनः निविदा प्रकाशन के पूर्व उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन करने एवं 3. नये सिरे से खुली निविदा प्रकाशित कर विहित प्रक्रिया के तहत उपादानों का न्यूनतम दर निर्धारित करने हेतु आपूर्तिकर्ता का चयन की कार्यवाई करने" से संबंधित निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने के संदर्भ में गठित आरोप पत्र में सन्निहित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-1837 दिनांक-21.10.2021 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के सुसंगत नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री गौरी शंकर मिंज विभागीय जांच पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड राँची को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विजय कुमार, तत्कालीन उप निदेशक, उद्यान, झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रक्रिया को संपादित करते हुए पत्रांक 626 दिनांक- 14.09.2022 के माध्यम से उक्त विभागीय कार्यवाही से संदर्भित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में श्री तिवारी के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाते हुए इनके बचाव-बयान को स्वीकार योग्य बताया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभाग स्तर पर समीक्षा के उपरांत समर्पित जाँच एवं निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री तिवारी द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव-बयान को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त करने एवं विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप से निस्तारित करने का निर्णय लिया गया है ।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शिव किशोर मिश्र,
सरकार के अवर सचिव ।
